संख्या 1174/चौवालिस-1-1980-80/78

प्रेषक,

श्री बलराम बिहारी लाल भारद्वाज,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्योगों/निगमों
के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1

लखनऊः दिनांकः 19 मई, 1980

**विषयः–** राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों के गैर–सरकारी अध्यक्षों एवं गैर सरकारी निदेशकों को देय मानदेय, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 3451/ब्यूरो/79-80/78, दिनांक 10 अक्टूबर, 1979 तथा विशेष कर उसके पैरा 1 के उप पैरा–1 (ख) तथा उप पैरा-2 के खण्ड 1 (क) की ओर आकृष्ट करते हुए यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि राज्य के विधान मण्डल के सदस्यों को, राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों में अध्यक्ष निदेशक आदि के पदों पर नियुक्त किये जाने की दशा में, संदर्भित शासनादेश के पैरा–1 के उप पैरा–1 (ख) तथा उप पैरा–2 के खण्ड 1 (क) में उल्लिखित भत्ते एवं सुविधायें नहीं प्रदान की जानी चाहिए, वरन् उन्हें केवल वे ही भत्ते एवं सुविधायें अनुमन्य होंगी जो समय–समय पर यथा संशोधित राज्य विधान मण्डल (अर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 के अन्तर्गत विधान मण्डल के सदस्यों को अनुमन्य हों।

2- अतः शासन के प्रशासनिक विभागों से निवेदन है कि वे कृपया विधान मण्डल के सदस्यों को राज्य के सार्वजनिक उद्योगों/निगमों में अध्यक्ष अथवा निदेशक आदि के पद पर नियुक्त करते समय उन्हें देय भत्तों एवं सुविधाओं आदि के विषय में उपरोक्त अधिनियम के प्राविधानों का ध्यान रखें तथा आवश्यकतानुसार शासन के संसदीय अनुभाग से जानकारी प्राप्त कर लें।

भवदीय,
**बलराम बिहारी लाल भारद्वाज,**
संयुक्त सचिव।

संख्या 1174 (1)/चौवालिस-1-1-1980-80/78, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को पृष्ठांकन संख्या 3451 (1) ब्यूरो/78-80/78, दिनांक 10 अक्टूबर, 1979 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
**बलराम बिहारी लाल भारद्वाज,**
संयुक्त सचिव।